न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 04/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00139

प्रार्थीगण

1 सेंधाराम पुत्र हरजी

2 धुड़ाराम पुत्र माना

3 आम्बाराम पुत्र माना

4 परबता पुत्र परखा

5 रामचन्द्र पुत्र परखा

6 सगता पुत्र परखा

[illegible]तियान–दर्जी, निवासीगण–
बिछावाड़ी, तहसील व
जिला–सांचौर, (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण

1 करसन पुत्र वरजांगा

2 भाणा पुत्र वरजांगा

3 सदा उर्फ सेंधा पुत्र वरजांगा

4 नरसी पुत्र वरजांगा नाऔलाद फौत के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3

5 रखमाबेन पुत्री कलाराम पत्नी ईशरा फौत के कायम मुकाम

ए–जयन्ति पुत्र ईशरा

बी–रणछा पुत्र ईशरा

जातियान–मेगवाल, निवासीगण–
नारोली, तहसील–थराद
जिला–बनासकांठा, गुजरात

6 शारदा पुत्री कलाराम

7 बबी पुत्री कलाराम

8 मुकेश पुत्र पवन(नाबालिग जरिये वालिय पिता गंगदा)

9 जगा पुत्र पांचा के फौत के कायम मुकाम

1–राजा पुत्र जगा

2–नरपत पुत्र जगा

3–मोहन पुत्र जगा

4–शंकरा पुत्र जगा

5–पेपी बैवा जगा

10 गोरधन पुत्र पांचा के कायम मुकाम

1 टीकमा पुत्र गोरधन

2 आसू पुत्र गोरधन

3 [illegible] पुत्र गोरधन

4 [illegible]रवती बैवा गोरधन

जाति[illegible], निवासीगण–बिछावाड़ी

11 धरमला पुत्र माला, जाति–
भाम्बी (फौत) के कायम मुकाम

A-हांसी पुत्री धरमला पत्नी रणछा

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निवासी–कारोला, तहसील–सांचौर

B–गीता पुत्री धरमला पत्नी हंजा

निवासी–गोलासन, तहसील–सांचौर

C–लखमी पुत्री धरमला पत्नी भवराजी

निवासी–गोलासन, तहसील–सांचौर

D–शारदा पुत्री धरमला पत्नी जवारा

निवासी–सुथाना, तहसील–सांचौर

E–कमला पुत्री धरमला पत्नी

काला, निवासी–सांचौर

12 दलपतसिंह पुत्र धुकसिंह, जाति–राजपुत

13 चन्दनसिंह पुत्र धुंकसिंह, जाति–राजपुत

14 तुलसीकंवर पत्नी धुंकसिंह, जाति–राजपुत

निवासीगण–बिछावाड़ी, तहसील–सांचौर

15 वीराराम पुत्र सादूला

16 सोनी धर्मपत्नी वीराराम

17 रमी धर्मपत्नी वीराराम

18 केहराराम पुत्र सादूला

जातियान–जाट, निवासीगण–छजारा

तहसील व जिला–सांचौर

19 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ

बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा–बिछावाड़ी

20 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

तहसील व जिला–सांचौर

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 23.06.2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 (A, B), 9 (1, 2, 3, 4, 5,), [illegible] 2, 3, 4), 11 (A,B,D,E,) 19 व 20 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाहीं
3. अप्रार्थी संख्या 3, 15 लगायत 18 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जोधाराम चौधरी उपस्थित।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

4. अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 12 लगायत 14 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह गोहिल उपस्थित।

5. अप्रार्थी संख्या 10(1) 11(C), की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिछावाड़ी में खेत खसरा संख्या 1233 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1234 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1235 रकबा 3.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1249 रकबा 3.75 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थीगण को उक्त खेतों में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा बिछावाड़ी के खेत खसरा संख्या 1241 रकबा 3.39 हैक्टेयर में से 0. 048हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा एवं 96 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1244 रकबा 5.44 हैक्टेयर में से 0.070 हैक्टैयर (5 मीटर चौडा 140 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1239 रकबा 1.07 हैक्टेयर में से 0.004 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1238 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से 0.0220 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 44 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1237/2011 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से 0.006 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1237 रकबा 2.20 हैक्टेयर में से 0.040 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1236 रकबा 2.82 हैक्टेयर में से 0.0560 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 112 मीटर लंबा) खसरा संख्या 1235 रकबा 3. 20 हैक्टेयर में से 0.040 हैक्टेयर (5 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा) नक्शा प्रदर्श 'अ' में वर्णित लाल स्याही की भूमि प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत सरहद मौजा बिछावाड़ी के खसरा संख्या 1241 रकबा 3.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1244 रकबा 5.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1239 रकबा 1.07 हैक्टेयर सरहद मौजा राजेश्वरपुरा के खसरा संख्या 1238 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1237/2011 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1237 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1236 रकबा 2.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1235 रकबा 3.20 हैक्टेयर स्थित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त माफिक प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर [illegible] कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 5,6,7,8,11 लगायत [illegible] उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता कभी भी प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1241, 1240, 1242, 1239 में से होकर न तो कभी चला था एवं न ही चलता है। प्रार्थीगण ने उक्त खेतों में से रास्ता चाहा है जो गलत है चुंकि धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

251 'ए' में स्पष्ट प्रावधान है कि नजदीकी रूठ से ही रास्ता नियमानुसार दिया जाता है जबकि प्रार्थीगण के नजदीकी रूठ से राजस्व नक्शा व रेकर्ड अनुसार रास्ते मौजूद है प्रार्थीगण द्वारा नजदीकी रूठ से रास्ते की मांग नहीं कर उससे कई गुणा दुरी पर दुर के रूठ से रास्ता की मांग की है। प्रार्थीगण स्वर्ण जाति के लोग है व अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के होने के कारण अप्रार्थीगण पर दबाव बनाकर जबरन रास्ता घोषित करवाना चाहते है जो गलत है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा मात्र के कारण अपनी मनमर्जी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम करवाना चाहते है जो विधि विरूद्व है तथा काबिल निरस्तनीय है, अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्राथीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 7, 8, 12 लगायत 14 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण संख्या टीकमा पुत्र गोरधन, सेंधाराम पुत्र वरजांगा, वीराराम सोनी, रमी, सेंधाराम पुत्र हरजी एवं केहरा पुत्र सादुला ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1249 तक कदीमी रास्ता चलने का कथन किया है एवं केहरा पुत्र सादुला ने प्रार्थीगण के साथ मिलावट कर रास्ता आगे खसरा संख्या 1231 तक बढ़ाने का समझौता किया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण साफ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.10.2015 को मौका रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भी कदीमी रास्ता घोषित करवाने का कथन किया है। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि दिनांक 08.12.2015 की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रार्थीगण द्वारा मांग किया गया मार्ग खसरा संख्या 1249 में पहुंच का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग नहीं था। दिनांक 17.09.2020 को प्रस्तुत द्वितीय मौका रिपोर्ट अत्यन्त देरी से प्रस्तुत की गई तथा मौके पर तैयार नहीं की गई है। राजस्व रेकर्ड से संबंधित तथ्य भी सही रूप से प्रकट नहीं किये गए है। वर्तमान में प्रार्थी के खसरा संख्या 3160/1233 से नजदीक मार्ग नर्मदा नहर के खसरा संख्या 3158/1232 से पड़ता है। अतएव प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा, जमाबंदी पुरानी, जमाबंदी वर्तमान एवं मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर दिनांक 06.03.2018 एवं मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.12.2015 मय प्रस्तावित नजरी नक्शा का गहनता से [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' [illegible] विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्राव[illegible] स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक [illegible] स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के [illegible] हेतु कोई रेकडर्ड रास्ता तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु पटवारी पटवार हल्का बि[illegible]ड़ी एवं तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.12.2015 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित मार्ग मौजा बिछावाड़ी के खसरा संख्या 1241, 1244, 1239 तथा ग्राम राजेश्वरपुरा के खसरा संख्या 1238,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

1237/2011, 1237, 1236, 1235 से मांग की है। पटवारी एवं तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार मौके एवं रिकॉर्ड के अनुसार चाहे गये रास्ते की दुरी 640 मीटर होती है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1249 ग्राम राजेश्वपुरा में स्थित है। ग्राम राजेश्वरपुरा के राजकीय कटाण रास्ता खसरा सख्या 1285 से खसरा संख्या 1259, 1258 की पश्चिमी मेड़ पर होकर खसरा संख्या 1249 की उतरी मेड़ तक दुरी 440 मीटर होती है। मराजकीय कटाण रास्ता खसरा संख्या 1285 ग्राम राजेश्वरपुरा की मुख्य आबादी को जोड़ता है तथा प्रार्थीगण का खेत भी ग्राम राजेश्वरपुरा में स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम नहीं होकर अधिकतम दुरी वाला है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 1249 तक पहुंचने हेतु ग्राम राजेश्वरपुरा के खसरा संख्या 1258, 1259 की पश्चिमी माठ पर होकर रास्ते की दुरी निकटतम व सुविधाजनक प्रतीत होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं मौका रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण के इकबालिया बयानों के कथनानुसार कदीमी रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दुरी वाला होने के कारण दिया जाना उचित नहीं होता है अतः मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा रास्ता अधिकतम दूरी पर स्थित है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति भी पूर्णतया बदल गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दुरूस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता साबित करनी होगी। अतः प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि संगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भली प्रकार साबित नहीं होने एवं कटाण मार्ग से निकटतम दूरी पर मार्ग प्रस्तावित नहीं करने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी साचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner